प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं0- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com

पत्रांक- 2873/ 12-1 बड़कोट, दिनांक 08, अप्रैल / 2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बडकोट।

विषयः— जनपद उत्तारकाशी के विधानसभा पुरोला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 है0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन। (FP/UK/ROAD/20210/2016)

संदर्भः— आपके कार्यालय का पत्रांक—407 /4गू0अ0, दिनांक 02.04.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयक प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नई दर से धनराशि जमा कराने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सहित आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1541/12—1, दिनांक 31.01.2024 द्वारा प्रेषित अतिरिक्त एन0पी0वी0 सम्बन्धी मांग पत्र के क्रम में आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 22.03.2024 को धनराशि 97498.00 रू0 जमा की गयी थी। उक्त के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि विषयक प्रकरण में रिक्त पडे स्थानों मे वृक्षारोपण हेतु नवीनतम दरों पर धनराशि जमा नही की गयी है एवं निर्धारित नवीनतम दर के आधार पर आवश्यक धनराशि आपके कार्यालय स्तर से जमा किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में वर्ष 2025—26 हेतु निर्धारित दर पर नियमानुसार 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 2026—27 हेतु विषयक प्रकरण में रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु संशोधित मांग पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त धनराशि जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विषयक प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

Hp dextop DM

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

क्र0 सं0	योजना का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (है0) में	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल है0 में	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के आदेश सं0 5-3/2011-FC(VOL-I) दिनांक 06.01.2022 (N.P.V. दर प्रति है0) तथा दर प्रति है0 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक-1191/3-5-2(FC), दिनांक 25.03.2025 के अनुसार वसूली वर्ष 2025-25 हेतु निर्धारित दर पर नियमानुसार 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।	0.28	5	0.3	रिक्त पडे स्थानों पर 190 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय रख रखाव	190 वृक्ष	रू0 2357.3 प्रति वृक्ष (वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित दर 2143 रू0 प्रति वृक्ष पर 10 प्रतिशत की वृद्दि फलस्वरूप)	4,47,887.00
		योग						4,47,887.00
		पूर्व में जमा की गई धनराशि						2,09,000.00
	कुल योग	अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि						2,38,887.00

नोट— उक्त धनराशि वसूली वर्ष 2026—27 के अनुसार मांगी गई है। यदि आपके द्वारा इस वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो जिस वित्तीय वर्ष में जमा कराई जायेगी उसी वसूली वर्ष के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।